न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः— **उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या :— 36 / 2025

स्टेट जरिये श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़

—:बनामः—

अप्रार्थीः—1
कौशल मिश्रा पुत्र खेमराज मिश्रा (विक्रेता)
मैसर्सः—मिश्रा जी मिष्ठान भंडार एण्ड रेस्टोरेंट, नई आबादी गली नं. 08, रावतसर रोड़, हनुमानगढ़ टाउन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
निवासीः—पारीक कॉलोनी, गली नं. 02, हनुमानगढ़।
अप्रार्थीः—2
खेमराज मिश्रा पुत्र जगप्रसाद मिश्रा (मालिक)
मैसर्सः—मिश्रा जी मिष्ठान भंडार एण्ड रेस्टोरेंट, नई आबादी गली नं. 08, रावतसर रोड़, हनुमानगढ़ टाउन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
निवासीः—पारीक कॉलोनी, गली नं. 02, हनुमानगढ़।

—अप्रार्थीयान

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 51

उपस्थितः—

1. श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. श्री अमित मदान, अभिभाषक अप्रार्थीयान।

—:निर्णयः—

दिनांक :—27.08.2025

प्रार्थी श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री सुदेश कुमार गर्ग दिनांक 08.10.2024 को समय दोपहर 01.40 बजे मय साथी टीम व समान के साथ वास्ते खाद्य पदार्थ दुकान निरीक्षण एवं नमूनीकरण मैसर्सः—मिश्रा जी मिष्ठान भंडार एण्ड रेस्टोरेंट, नई आबादी, गली नं. 08, रावतसर रोड़, हनुमानगढ़ टाउन, तहसील व जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचे। वहां पर कौशल मिश्रा पुत्र खेमराज मिश्रा (मौका विक्रेता) निवासी—पारीक कॉलोनी, गली नं. 02, हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़ उपस्थित मिला। उक्त विक्रेता के पास आमजन के बेचान वास्ते फ्रिज में खाद्य पदार्थ Mawa तादाद करीब 12 किलोग्राम रखा हुआ था। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट का शक होने पर विक्रेता से 01 किलोग्राम Mawa नमूना जांच वास्ते क्रय कर लिया। जिसको चार बराबर भागों में बांटकर चार साफ सुखी खाली प्लास्टिक की शीशीओं में भरकर लिया तथा प्रत्येक शीशी के Mawa में 20—20 बूंदे फॉर्मलिन की डाली गई। मौके पर ही विक्रेता को उक्त Mawa के खरीद मूल का 360/—रूपये का नगद भुगतान किया तथा माल खरीद रसीद बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। माल खरीद रसीद/कैश मीमो परिवाद संग संलग्न है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है। फार्म 5 ए पर विक्रेता तथा गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा 01 किलोग्राम Mawa को चार बराबर भाग में प्लास्टिक की शीशीओं में भरकर लिया और चार लेबल तैयार कर लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर कर लेबल स्लिप कोड नं0 एके—3629 मिन पर दर्ज कर चारों शीशीओं पर चिपकाया। प्रत्येक शीशी को मोटे खाकी कागज में लपेटा ऊपर से नीचे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ एवं जिला अभिहित अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप कोड नं. एके—3629 मिन पर दर्ज कर चारों शीशीओं पर चिपकाया। प्रत्येक शीशी को नियमानुसार मोटे सफेद धागे से बांधा व चार—चार जगह से सील चपड़ी किया। सील्ड नमूने पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे में लिया। समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को समझा व सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 06 की प्रतियां तैयार की एवं प्रत्येक फार्म पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया था। इसके पश्चात एक नमूना भाग मय फार्म नं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर श्रीमान खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को जांच हेतु जमा कराया गया। फूड एनालिस्ट पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री से नमूने

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 1195 दिनांक 16.10.2024 जिसके अनुसार नमूना जांच Substandard Food प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी ने उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2024/14022–23 दिनांक 05.11.2024 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित किया। नमूना विक्रेता ने नमूने के दूसरे भाग की रैफरल फूड लैब से जांच हेतु निर्धारित अवधि या उसके पश्चात कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। आवेदक द्वारा अनुसंधान कार्य पूर्ण होने के बाद समस्त कागजात अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ को वास्ते लिखित अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने समस्त कागजातों का अवलोकन कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्याय निर्णयन आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया। लिखित अनुमति संलग्न परिवाद है। इस प्रकरण में अप्रार्थीयान ने Substandard Mawa का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के आधार पर Mawa विक्रेता एवं मालिक एफएसएसए 2006 की धारा 31 की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीयान को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। जिसकी पावती संलग्न पत्रावली है।

अभिभाषक अप्रार्थीयान द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त नमूने को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर ने मात्र सबस्टैण्डर्ड फूड घोषित किया गया है। नमूने में मुताबिक जांच रिपोर्ट ऐसी कोई कमी नहीं पाई गई जो मानव स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो। अप्रार्थीयान ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 (2) (2) का उल्लंघन नहीं किया है। अप्रार्थीयान लघु श्रेणी के कारोबारी है। अतः अप्रार्थीगण को एफएसएसए एक्ट की धारा 31 (2) का लाभ प्रदान किया जावे। अतः जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध की गई कार्यवाही ड्राप फरमाई जावे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लैब रिपोर्ट के अनुसार अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीयान द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीयान से निरीक्षण के दौरान क्रय किये गये Mawa की जांच में Substandard की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीयान द्वारा Substandard Mawa का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थीयान द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थीयान के Substandard कृत्य के लिए धारा 51 के तहत अप्रार्थीयान पर संयुक्त रूप से 5,000/–(अखरे रूपये पांच हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक–एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 27.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

(उम्मेदी लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़